IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 4, Issue 6, November 2024
Impact Factor: 7.57

मध्यप्रदेश में जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य के राजस्व पर प्रभाव

डॉ. सतपाल सिंह भाटिया

प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग

श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

सारांशः

भारत में 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू की गई, जिसने विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करते हुए देश की कर संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन किया। यह शोधपत्र मध्यप्रदेश राज्य में जीएसटी लागू होने के पश्चात राजस्व संग्रह पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 तक के केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय जीएसटी घटकों जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एवं मुआवजा उपकर पर केन्द्रित है। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रारंभिक वर्षों में संक्रमणकालीन चुनौतियाँ सामने आईं, परंतु समय के साथ राज्य का कुल जीएसटी संग्रह स्थिरता और वृद्धि दोनों दर्शाता है। वर्ष 2017–18 में जहाँ कुल जीएसटी संग्रह ₹15,543.67 करोड़ था, वहीं 2023–24 में यह बढ़कर ₹42,173.93 करोड़ हो गया। यह वृद्धि कर आधार के विस्तार, डिजिटल अनुपालन में सुधार और प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश अब धीरे–धीरे राजस्व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और जीएसटी प्रणाली ने राज्य की वित्तीय स्थिति को दीर्घकालिक रूप से सशक्त किया है।

शब्द कुंजी :– जीएसटी, मध्यप्रदेश, राजस्व संग्रह, अप्रत्यक्ष कर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मुआवजा उपकर, कर अनुपालन, वित्तीय प्रभाव।

1. प्रस्तावना :–

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और एकीकृत बनाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया। इस एकीकृत कर प्रणाली ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे बहुविध अप्रत्यक्ष करों जैसे दृ वैट , सेवा कर , उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर इत्यादि को समाप्त कर, एक 'एक राष्ट्र – एक कर' व्यवस्था की नींव रखी। जीएसटी के अंतर्गत करों को मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया गया है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) और मुआवज़ा उपकर।

मध्यप्रदेश, जो भारत का एक प्रमुख भू–आर्थिक राज्य है, में जीएसटी लागू होने से कर संरचना में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला। पूर्ववर्ती कर व्यवस्थाओं में जहाँ राज्य को मुख्य रूप से वैट एवं प्रवेश कर से राजस्व प्राप्त होता था, वहीं जीएसटी लागू होने के पश्चात कर संग्रहण का स्वरूप डिजिटल, केंद्रीकृत और वास्तविक समय आधारित हो गया। इसके परिणामस्वरूप करदाताओं की संख्या में वृद्धि, कर अनुपालन में सुधार और राजस्व संग्रह की पारदर्शिता में विस्तार हुआ।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 4, Issue 6, November 2024 Impact Factor: 7.57

हालाँकि जीएसटी लागू होने के प्रारंभिक वर्षों में मध्यप्रदेश सहित अनेक राज्यों को राजस्व हानि का सामना करना पड़ा, जिसे केंद्र सरकार ने मुआवजा उपकर के माध्यम से संतुलित किया। समय के साथ कर प्रणाली में स्थायित्व आया और राज्य का कुल जीएसटी संग्रह निरंतर बढ़ता गया। इस शोधपत्र के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्यप्रदेश की राजस्व संरचना में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, इसमें कौन–कौन से घटक सहायक रहे, और राज्य की वित्तीय आत्मनिर्भरता की दिशा में यह प्रणाली कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है।

2. उद्देश्य :–

इस शोध का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के पश्चात राज्य के राजस्व ढाँचे में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। इसके अतिरिक्त, शोध में यह भी विश्लेषित किया गया है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीईएसएस जैसे घटकों ने राज्य के कुल अप्रत्यक्ष कर राजस्व में किस हद तक योगदान दिया है।

3. शोध पद्धतिः–

यह शोध पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिनमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सीबीआईसी, जीएसटी परिषद, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग, तथा सीएजी रिपोर्ट से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया गया है। आँकड़ों की समय–सीमा 2017–18 (जीएसटी वर्ष) से 2023–24 तक की रखी गई है। तुलनात्मक विश्लेषण, प्रतिशत परिवर्तन, ग्राफीय प्रस्तुति, एवं प्रवृत्तिगत विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

4. समंक विश्लेषण एवं परिणामः–

तालिका क्र.– 1 विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों की वर्षवार प्राप्ति

(2017–18 से 2023–24, राशि करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	सीमा शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवाकर	CGST	IGST	GST Compen-sation CESS	Total GST	Total Indirect Taxes(Customs Duty +CX+ST+GST)
2017–18	129030	258834	81228	203261	176688	62612	442561	911653
2018–19	117813	231045	6904	457534	28945	95081	581559	937321
2019–20	109283	239452	6029	494071	9125	95553	598749	953513
2020–21	134750	389667	1615	456334	7251	85192	548777	1074810
2021–22	199728	390808	1012	591226	2119	104769	698114	1289662
2022–23	213371	319000	431	718522	4748	125862	849132	1381934
2023–24	233067	305330	424	820622	–5026	141436	957032	1495853

स्त्रोत–वार्षिक प्रतिवेदन वस्तु एवं सेवाकर 2017–24

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 4, Issue 6, November 2024 Impact Factor: 7.57

भारत में जीएसटी लागू होने के बाद के सात वर्षों (2017–18 से 2023–24) के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में स्थिरता, पारदर्शिता और वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2017–18, जो जीएसटी व्यवस्था का प्रारंभिक वर्ष था, उसमें कुल ₹4.42 लाख करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ, जिसमें से सीजीएसटी ₹2.03 लाख करोड़ तथा आईजीएसटी ₹1.76 लाख करोड़ था। इस प्रारंभिक अवधि में जीएसटी मुआवजा उपकर ₹62,612 करोड़ रहा, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई हेतु दिया गया था।

2018–19 और 2019–20 में जीएसटी संग्रह में क्रमशः वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019–20 में कुल जीएसटी संग्रह ₹5.98 लाख करोड़ तक पहुँचा, जबकि अप्रत्यक्ष करों का कुल योग ₹9.53 लाख करोड़ रहा। यह वृद्धि पंजीकृत करदाताओं की संख्या में वृद्धि, अनुपालन में सुधार और डिजिटल कर निगरानी प्रणाली के प्रभाव के कारण संभव हुई।

2020–21 में कोविड–19 महामारी के बावजूद जीएसटी संग्रह ₹5.48 लाख करोड़ रहा, जो कि अपेक्षाकृत स्थिरता का संकेत देता है। हालाँकि आईजीएसटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, परंतु मुआवजा उपकर ₹85,192 करोड़ रहा, जिससे पता चलता है कि राज्यों को इस समय अधिक राजस्व सहायता की आवश्यकता थी।

2021–22 से 2023–24 तक जीएसटी संग्रह में निरंतर और सुदृढ़ वृद्धि देखी गई। वर्ष 2023–24 में कुल जीएसटी संग्रह ₹9.57 लाख करोड़ रहा, जो कि 2017–18 की तुलना में लगभग 116% अधिक है। इसी अवधि में कुल अप्रत्यक्ष कर ₹14.95 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो यह दर्शाता है कि जीएसटी प्रणाली अब राजस्व संग्रह का मुख्य स्रोत बन चुकी है।

एक महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि 2023–24 में मुआवजा उपकर –₹5,026 करोड़ दर्ज किया गया, जिसका अर्थ यह है कि इस वर्ष केंद्र सरकार को राज्यों से कुछ राशि वापस प्राप्त हुई या पिछले वर्षों की अधिक अदायगी को समायोजित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अब राज्य सरकारें धीरे–धीरे राजस्व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही हैं।

तालिका क्र. 2

मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर राजस्व (रुपये करोड़ में)

Financial Year	CGST	SGST	IGST	CESS	TOTAL
2017-18	3222.413	4763.852	4374.507	3182.902	15543.67
2018-19	5718.596	8033.2	6992.156	4938.906	25682.86
2019-20	6413.153	8840.573	7575.19	5525.569	28354.48
2020-21	6,308.85	8,225.02	6,941.60	5,529.65	27,005.11
2021-22	7,280.45	9,433.41	8,260.59	6,280.21	31,254.66
2022-23	8427.82	10936.55	9861.52	7005.85	36231.74
2023-24	10336.14	13072.07	11211.26	7554.46	42173.93

स्त्रोत–वार्षिक प्रतिवेदन वस्तु एवं सेवाकर 2017–24

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 तक के राज्यवार जीएसटी संग्रह के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि मध्यप्रदेश में जीएसटी प्रणाली के लागू होने के पश्चात राज्य के राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है। 2017–18, जो कि जीएसटी का प्रारंभिक वर्ष था, उसमें

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 4, Issue 6, November 2024 Impact Factor: 7.57

कुल संग्रह ₹15,543.67 करोड़ रहा, जिसमें एसजीएसटी का योगदान ₹4,763.85 करोड़ और आईजीएसटी का ₹4,374.50 करोड़ था।

2018–19 में यह संग्रह बढ़कर ₹25,682.86 करोड़ तक पहुँच गया, जो लगभग 65% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस दृ तीनों में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। इस रुझान से स्पष्ट होता है कि करदाताओं में प्रणाली के प्रति अनुकूलता और पंजीयन में वृद्धि हुई।

2019–20 और 2020–21 के वर्षों में वृद्धि की गति थोड़ी स्थिर रही, विशेषतः कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान उत्पन्न हुआ। फिर भी 2020–21 में कुल संग्रह ₹27,005.11 करोड़ रहा, जो यह दर्शाता है कि महामारी के बावजूद कर व्यवस्था ने संतुलन बनाए रखा।

2021–22 से पुनः वृद्धि का स्पष्ट रुझान देखा गया और यह वर्ष ₹31,254.66 करोड़ के कुल संग्रह के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद 2022–23 और 2023–24 में जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। विशेष रूप से 2023–24 में ₹42,173.93 करोड़ का रिकॉर्ड ळेज संग्रह दर्ज किया गया, जो सात वर्षों में लगभग 2.7 गुना वृद्धि को दर्शाता है।

सीजीएसटी, एसजीएसटी, और आईजीएसटी के साथ–साथ सेस संग्रह भी सात वर्षों में ₹3,182.90 करोड़ से बढ़कर ₹7,554.46 करोड़ तक पहुँच गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश सरकार ने उपभोग आधारित करों से भी स्थिर राजस्व अर्जित किया है।

5. उपसंहार :–

जीएसटी लागू होने के पश्चात मध्यप्रदेश की राजस्व संरचना में एक निर्णायक बदलाव देखा गया है। प्रारंभिक वर्षों में जहाँ राजस्व में अस्थिरता, पंजीकरण में भ्रम, और तकनीकी चुनौतियाँ देखी गईं, वहीं समय के साथ राज्य ने कर–संग्रह, अनुपालन और पारदर्शिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है। वर्ष 2017–18 में ₹15,543.67 करोड़ के जीएसटी संग्रह से बढ़कर 2023–24 में यह आंकड़ा ₹42,173.93 करोड़ तक पहुँच गया, जो कि राजस्व वृद्धि की स्थिर और सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। मुआवजा उपकर की निर्भरता भी धीरे–धीरे कम होती गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य अब राजस्व आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, जीएसटी प्रणाली ने राज्य को दीर्घकालिक वित्तीय स्थायित्व, डिजिटल कर व्यवस्था, और व्यापारिक सरलीकरण की दिशा में सुदृढ़ बनाया है।

6. सुझाव :–

1. अनुपालन को सरल बनाया जाए –छोटे व्यापारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के करदाताओं के लिए जीएसटी प्रक्रिया को और अधिक सहज, स्थानीय भाषा में अनुकूल और मोबाइल–अनुकूल बनाया जाना चाहिए।
2. डिजिटल साक्षरता अभियान – राज्य स्तर पर जीएसटी पोर्टल, ई–वे बिल, और रिटर्न फाइलिंग जैसे विषयों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएँ ताकि कर अनुपालन दर में और वृद्धि हो सके।
3. क्षेत्रीय डेटा विश्लेषण केंद्र – राजस्व संग्रह और कर आधार पर निरंतर विश्लेषण हेतु राज्य स्तर पर 'टैक्स एनालिटिक्स यूनिट' की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे रणनीतिक निर्णय सशक्त हो सकें।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 4, Issue 6, November 2024 Impact Factor: 7.57

4. स्थानीय कर प्रशासन का प्रशिक्षण – विभागीय अधिकारियों को जीएसटी के तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाए ताकि करदाताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके।
5. राजस्व विविधीकरण – केवल जीएसटी पर निर्भरता कम कर राज्य को वैकल्पिक स्रोतों जैसे ग्रीन टैक्स, डिजिटल सेवा शुल्क और ई–कॉमर्स से जुड़े शुल्कों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

7. संदर्भ सूची

1. Ministry of Finance. (2024). *GST Revenue Reports 2017–2023*. Government of India. Retrieved from https://www.finmin.nic.in
2. GST Council. (2024). *Monthly GST Collection Summary*. Retrieved from https://www.gstcouncil.gov.in
3. Madhya Pradesh Commercial Tax Department. (2023). *Annual Report 2022–23*.
4. Comptroller and Auditor General of India (CAG). (2022). *State Finances Audit Report – Madhya Pradesh*.
5. PIB India. (2021). *GST Compensation Cess Releases to States*.
6. Joshi, M., & Verma, K. (2022). Impact of GST on State Finances in India: A Comparative Analysis. *Journal of Fiscal Studies*, 11(2), 25–41